"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 2012—अग्रहायण 5, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–2/2003/1–3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335, सहपठित अनुच्छेद 309 के **परन्तुक द्वारा** प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा **(पदोन्नति)** नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. **नियम 5 के** खण्ड (एक) एवं (दो) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(एक) जब वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) के आधार पर उपयुक्तता सूची बनाई जानी हो –

स.क.	पदों का वर्गीकरण	अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत पदों पर तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति।	12 प्रतिशत	32 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
(2)	तृतीय श्रेणी के पदों पर अथवा तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत पदों पर पदोन्नति।	12 प्रतिशत	32 प्रतिशत

(दो) जब योग्यता–सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियॉरिटी) के आधार पर उपयुक्तता सूची बनाई जानी हो –

स.क.	पदों का वर्गीकरण	अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति।	12 प्रतिशत	32 प्रतिशत।"

2. अनुसूची–III एवं IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"अनुसूची–III
(देखिए नियम 9)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर
प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए

1. कार्यालय का नाम...
2. संवर्ग/सेवा के भाग/पद का नाम तथा वेतनमान......................................
3. पदोन्नति के लिए आधार– वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता अथवा योग्यता–सह–वरिष्ठता

अनुसूचित जाति 12 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत

रोस्टर बिन्दु	अनारक्षित/आरक्षित	अग्रणित किए जाने या भरे जाने का वर्ष	शासकीय सेवक जिसके द्वारा पद भरा गया का नाम एवं जाति	क्या वह आरक्षित प्रवर्ग का है	आदेश कमांक तथा तारीख	नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

1. अनारक्षित
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनारक्षित
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित

6. अनुसूचित जनजाति
7. अनारक्षित
8. अनुसूचित जनजाति
9. अनारक्षित
10. अनारक्षित
11. अनुसूचित जनजाति
12. अनारक्षित
13. अनुसूचित जाति
14. अनारक्षित
15. अनुसूचित जनजाति
16. अनारक्षित
17. अनारक्षित
18. अनुसूचित जनजाति
19. अनारक्षित
20. अनुसूचित जनजाति
21. अनारक्षित
22. अनुसूचित जाति
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जनजाति
25. अनारक्षित
26. अनारक्षित
27. अनुसूचित जनजाति
28. अनारक्षित
29. अनुसूचित जाति
30. अनारक्षित
31. अनुसूचित जनजाति
32. अनारक्षित
33. अनुसूचित जनजाति
34. अनारक्षित
35. अनारक्षित
36. अनुसूचित जनजाति
37. अनारक्षित
38. अनुसूचित जाति
39. अनारक्षित

40. अनुसूचित जनजाति
41. अनारक्षित
42. अनारक्षित
43. अनुसूचित जनजाति
44. अनारक्षित
45. अनुसूचित जनजाति
46. अनारक्षित
47. अनुसूचित जाति
48. अनारक्षित
49. अनुसूचित जनजाति
50. अनारक्षित
51. अनारक्षित
52. अनुसूचित जनजाति
53. अनारक्षित
54. अनुसूचित जाति
55. अनारक्षित
56. अनुसूचित जनजाति
57. अनारक्षित
58. अनुसूचित जनजाति
59. अनारक्षित
60. अनारक्षित
61. अनुसूचित जनजाति
62. अनारक्षित
63. अनुसूचित जाति
64. अनारक्षित
65. अनुसूचित जनजाति
66. अनारक्षित
67. अनारक्षित
68. अनुसूचित जनजाति
69. अनारक्षित
70. अनुसूचित जनजाति
71. अनारक्षित
72. अनुसूचित जाति
73. अनारक्षित

74. अनुसूचित जनजाति
75. अनारक्षित
76. अनारक्षित
77. अनुसूचित जनजाति
78. अनारक्षित
79. अनुसूचित जाति
80. अनारक्षित
81. अनुसूचित जनजाति
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जनजाति
84. अनारक्षित
85. अनारक्षित
86. अनुसूचित जनजाति
87. अनारक्षित
88. अनुसूचित जाति
89. अनारक्षित
90. अनुसूचित जनजाति
91. अनारक्षित
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जनजाति
94. अनारक्षित
95. अनुसूचित जनजाति
96. अनारक्षित
97. अनुसूचित जाति
98. अनारक्षित
99. अनुसूचित जनजाति
100. अनारक्षित।"

3. उपरोक्त मॉडल रोस्टर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन/सदन कार्यालय के लिए भी लागू होंगे।

4. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 4–2/2003/1–3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–2/2003/1–3 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 26th November 2012

NOTIFICATION

No. F 4-2/2003/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 16 and 335 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (i) and (ii) of Rule 5, the following shall be substituted, namely :-
"(i) Where the fit list is to be prepared on the basis of seniority subject to fitness –

S.No.	Classification of Posts	For Scheduled Castes	For Scheduled Tribes
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Promotion to Class-II Posts, promotion within Class-II Post and promotion from Class-II to Class-I posts.	12 percent	32 percent
(2)	Promotion to Class-III Posts, or promotion within Class-III Post and promotion within Class-IV posts.	12 percent	32 percent

(ii) Where the fit list is to be prepared on the basis of merit-cum-seniority -

S.No.	Classification of Post	For Scheduled Castes	For Scheduled Tribes
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Promotion from Class-I Posts to higher scale of Class-I posts.	12 percent	32 percent."

2. For Schedule-III and IV, the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE - III
(See rule - 9)

Model Roster for post(s) which shall be filled by Promotion, for Class - I, II, III and IV Post(s)

1- Name of office--

2- Name of Cadre/part of service/post and pay scale------------------

3- Basis for Promotion - Seniority subject to fitness or Merit-cum-Seniority

Scheduled Caste - 12%
Scheduled Tribe - 32%

Roster point	Unreserved/ Reserved	Year of post filled up or carry over	Name of Government Servant by which post filled up & caste	Whether he belongs to Reserved Category	Order number and date	Signature of Appointing Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Unreserved
2. Scheduled Tribe
3. Unreserved
4. Scheduled Caste
5. Unreserved
6. Scheduled Tribe
7. Unreserved
8. Scheduled Tribe
9. Unreserved
10. Unreserved
11. Scheduled Tribe
12. Unreserved
13. Scheduled Caste
14. Unreserved
15. Scheduled Tribe
16. Unreserved
17. Unreserved
18. Scheduled Tribe
19. Unreserved

20. Scheduled Tribe
21. Unreserved
22. Scheduled Caste
23. Unreserved
24. Scheduled Tribe
25. Unreserved
26. Unreserved
27. Scheduled Tribe
28. Unreserved
29. Scheduled Caste
30. Unreserved
31. Scheduled Tribe
32. Unreserved
33. Scheduled Tribe
34. Unreserved
35. Unreserved
36. Scheduled Tribe
37. Unreserved
38. Scheduled Caste
39. Unreserved
40. Scheduled Tribe
41. Unreserved
42. Unreserved
43. Scheduled Tribe
44. Unreserved
45. Scheduled Tribe
46. Unreserved
47. Scheduled Caste
48. Unreserved
49. Scheduled Tribe
50. Unreserved
51. Unreserved
52. Scheduled Tribe
53. Unreserved
54. Scheduled Caste
55. Unreserved

56. Scheduled Tribe
57. Unreserved
58. Scheduled Tribe
59. Unreserved
60. Unreserved
61. Scheduled Tribe
62. Unreserved
63. Scheduled Caste
64. Unreserved
65. Scheduled Tribe
66. Unreserved
67. Unreserved
68. Scheduled Tribe
69. Unreserved
70. Scheduled Tribe
71. Unreserved
72. Scheduled Caste
73. Unreserved
74. Scheduled Tribe
75. Unreserved
76. Unreserved
77. Scheduled Tribe
78. Unreserved
79. Scheduled Caste
80. Unreserved
81. Scheduled Tribe
82. Unreserved
83. Scheduled Tribe
84. Unreserved
85. Unreserved
86. Scheduled Tribe
87. Unreserved
88. Scheduled Caste
89. Unreserved
90. Scheduled Tribe
91. Unreserved

92. Unreserved
93. Scheduled Tribe
94. Unreserved
95. Scheduled Tribe
96. Unreserved
97. Scheduled Caste
98. Unreserved
99. Scheduled Tribe
100. Unreserved."

3. The above model roster shall also be applicable to the office of Chhattisgarh Bhawan/Sadan at New Delhi.

4. This amendment shall be effective from the date of issue of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.